

5/22

प्रथम पक्षः

द्वितीय पक्षः } अनुपादेयत

उभय पक्ष लगातार सभी तारीख में अनुपादेयत हैं।
जैसा की अभिलेख अवलोकन में प्रकट होता है की उभय पक्षों
की इस वाद में कोई अभिलेख नहीं है, विधि-अवस्था भंग
होने की संभावना नहीं होने के कारण वाद की सुविधि
बिना किसी प्रकार की आदेश के समाप्त की जाती है।

Di
5/3/22